(d) whether Government are considering to bring a Bill in the current session of Parliament allowing foreign multinational companies to open isurance business in the country?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) to (d) Under the existing insurance laws, all insurance business is at present the exclusive privilege of the Life Insurance Corporation of India and the General Insurance Corporation of India and its four subsidiaries. Government have not allowed any other entity to do insurance business in India. Government do not have any official information regarding memoranda of understanding between private parties. Government propose to introduce in the current session of Parliament a Bill to give statutory status to the Insurance Regulatory Authority.

गुजरात के जनजातीय और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की खराब स्थिति

*266. **श्री अनन्तराय देवशंकर दवे:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने जनजातीय और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य योजना शुरू करने हेतु कोई विशेष प्रबंध किए हैं;

(ख) क्या गुजरात के जनजातीय और सीमावर्ती क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं का अत्यंत अभाव है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई ठोस नीति बनाई है; और

(घ) क्या सरकार ने राज्यों के लिए एक केन्द्रीय कोष की स्थापना की है जिसके अंतर्गत प्रत्येक राज्य को निर्धारित वित्तीय सहायता प्रदान की जा सकें?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र कुमार मंगतराम अलघ): (क) जनजातीय उपयोजना और सामाजिक घटक योजना जनजातीय और ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातीय और अनुसूचित जातियों की स्वास्थ्य परिचर्या संबंधी आवश्यकता पर ध्यान केन्द्रित करने की दृष्टि से कार्यान्वित की जा रही हैं।

(ख) गुजरात राज्य सरकार से प्राप्त हुई सूचना के अनुसार कच्छ और सौराष्ट्र रीजन के सीमावर्ती क्षेत्रों और राज्य के अन्य जनजातीय क्षेत्रों में पर्याप्त स्वास्थ्य परिचर्या संबंधी सुविधाएं हैं।

(ग) राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (1983) में जनजातीय, पहाड़ी और पिछड़े क्षेत्रों में रह रहे लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए उच्च प्राथमिकता देने का उल्लेख है। तदनुसार ऐसे क्षेत्रों में शिथिल मानदंडों के आधार पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और उप केन्द्र स्थापित किए गए हैं। राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे उन जनजातीय/अनुसूचित जाति पुरवों (हेमलेट)/हस्तियों, जो उपलब्ध स्वास्थ्य सेवा प्रदाय केन्द्र से 5 किलोमीटर से अधिक दूरी पर हैं, के मामले में उप केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने में और छूट दें। राज्य सरकार को सलाह दी गई है कि वह 20 प्रतिशत अथवा इससे अधिक की अनुसूचित जाति को जनसंख्या वाली अनुसूचित जाति बस्तियों/गांवों में अपने वार्षिक लक्ष्य के कम से कम 15 प्रतिशत उपकेन्द्र और जनजातीय क्षेत्रों में 7.5 प्रतिशत उपकेन्द्र स्थापित करें।

(घ) सरकार ने गरीबी की रेखा से नीचे के रोगियों, जिन्हें खर्चीले उपचार की आवश्यकता है, के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु एक राष्ट्रीय बीमारी सहायता निधि स्थापित करने तथा ऐसी निधियों को स्थापित करने में राज्यों को सहयोग देने का निर्णय किया है।

Openings of 'PLUS 21' Channel for Telecast of Adult Programmes

*267. SHRIMATI ANANDIBEN JETHABHAI PATEL:
SHRIMATI VEENA VERMA:

Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether Government propse to allow the opening of 'PLUS 21' Channel for telecast of adult programmes in India;

(b) whether it is a fact that the former Information and Broadcasting Minister had some reservations as to such programmes and cancelled the telecast of some advertisements keeping in view the cultural heritage of the country;